

15/6/22 पनाकली क्षेत्र इंदौर। नवीन प्राची कला उत्थान  
 पर पर वरुण श्रुती गुरु विमोचक तल्लीलदा लालसोट  
 द्वारा प्रस्तुत विमोचक का अर्थोत्तर किया। जिससे  
 प्राची द्वारा प्रस्तुत उत्थान पर स्वीकार किया  
 जाने प्रेरण है। अतः प्राची का उत्थान पर स्वीकार  
 किया जाता है। तल्लीलदा लालसोट को अर्थोत्तर  
 दिया जाते हैं कि वे उपर्युक्त विमोचक / प्रवर्णन  
 की रीति गठित कर लीजाना वर प्रस्तुत की कार्य  
 करावे। परवर्णन में निम्नलिखित से लिखना  
 जाकर प्राप्त। जिसका किया गया वरुण वरुण  
 द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिसका किया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
 लालसोट जिला डोंसा (राज०)

**न्यायालय उपजिलाधीश महोदय लालसोट(दौसा)**  
**किस्म मुकदमा फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111**

मु0नं0 7/22

रामप्यारी आदि

बनाम्

राज0 सरकार

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इर  
हुक्म की तामीत  
में जारी हुए

15-06-2022

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण श्री नाथूलाल मीना एडवोकेट उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 की दिनांक 14-06-2022 को रिपोर्ट आ चुकी है। ख0नं0 638/264 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि ग्राम खटवा तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। जिसकी खातेदारी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। प्रार्थीगण उक्त जमीन के खातेदार है। दिनांक 14-06-2022 को तहसीलदार द्वारा भूमि की रिपोर्ट भी आ चुकी है। प्रार्थीगण मुताबिक रिपोर्ट भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है। मेरे विनम्र मत में 638/264 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा का मुताबिक रिपोर्ट दिनांक 14-06-2022 की शर्त के आधार पर पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, रिपोर्ट तथा तहसीलदार लालसोट द्वारा प्रस्तुत बिन्दूवार रिपोर्ट का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया है। मेरे विनम्र मत में प्रकरण में रिपोर्ट की शर्त के आधार पर उपरोक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना उचित है।

अतः तहसीलदार लालसोट को आदेश दिया जाता है कि दो कुशल गिरदावर/पटवारीयो की टीम गठित कर उपरोक्त वर्णित आराजीयात भूमि 638/264 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा ग्राम खटवा तहसील लालसोट जिला दौसा का रिपोर्ट की शर्त के अनुसार मौके पर जाकर जरिये पुलिस इमदाद पत्थरगढी कायम करवायी जावे एवं राजकीय शुल्क प्रार्थी से नियमानुसार प्राप्त करे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार लालसोट को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

  
**उपखण्ड अधिकारी**  
लालसोट जिला दौसा (राज0)